नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

एफ 01-15/2021/18-3 भोपाल, दिनांक 30 /05/2023

प्रति,

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 में संशोधन किये जाने के सबंध में।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत अधिसूचना क्र. 12 एफ 1-15/2021/18-3 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में दिनांक 26.05.2023 को किया गया है जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आर.के.कार्तिकेय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

एफ 01-15/2021/18-3 भोपाल, दिनांक 30 /05/2023

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.।
4. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर परिषद म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Additional Commissioner
Indore Municipal Corporation

आयुक्त
इन्दौर नगर पालिक निगम

अपर आयुक्त
आवक 1022
दिनांक 2/6/23

इन्दौर नगर पालिक निगम
क्रमांक: 433
दि: 02/06/23
आयुक्त कार्यालय

(7) A copy of the statement recorded under sub-rule (2) *supra* shall be given to the investigating officer with a specific direction recorded in the record of proceedings and acknowledged by the investigating officer with his signature in the margin, that the same shall not be disclosed to anyone.

(8) The accused shall have a right to a copy of the statement recorded under sub-rule (2), only at the stage under section 207 or 208 of the Code of Criminal Procedure.".

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

अधि. क्रमांक 12 एफ 1–15/2021/18–3:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 292–क, 292–ख, 292–खक, 292–ग, 292–ङ और 292–छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 339–क, 339–ख, 339–खक, 339–ग, 339–ङ और 339–छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2023 में पूर्व प्रकाशित हो चुका है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

– संशोधन –

उक्त नियमों में,–

1. नियम 23 में, भाग–3 में,–

(1) उप–नियम (3) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से, सम्बन्धित कालोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबन्धन के अधीन होगी और सूची की प्रति, इस आशय से उपपंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी, कि सम्बन्धित कालोनी की भूमि एवं भू–खण्ड/भवन किसी भी प्रकार के अंतरण या अंतरण करार द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। विक्रेता या क्रेता अथवा दोनों से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बिना पंजीयन निष्पादित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि, नगरीय निकाय ऐसा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित रहवासी संघ से परामर्श कर सकेगा।"।

(2) उप–नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–घ की उप–धारा (9) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339–घ की उप–धारा (9) के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी, उन समस्त व्यक्तियों की, जिन्होंने अनधिकृत कालोनी विकसित करने का

अपराध कारित किया गया है उन सम्पत्तियों को चिन्हांकित करने के पश्चात् कुर्क कर सकेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समपहृत सम्पत्तियों के व्ययन से प्राप्त राशि, सम्बन्धित निकाय की निधि के रूप में होगी तथा इसका उपयोग केवल सम्बन्धित कालोनी के विकास कार्य के लिए किया जाएगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम/नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम के अधीन समपहृत अचल सम्पत्तियों के व्ययन के लिए आदेश जारी करेगा और ऐसी सभी सम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रचलित कलक्टर गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश जारी किए जाने की तारीख से 30 दिवस के भीतर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत की जा सकेगी।"।

(3) उप–नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(7) सक्षम प्राधिकारी, अनधिकृत कालोनी में नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप–नियम (6) के अधीन तैयार अंतिम अभिन्यास (ले–आउट) के आधार पर, एक योजना तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे:–

(क) नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत का आंकलन;

(ख) विकास कार्य पूर्ण करने के लिए समय–सीमा;

(ग) विकास कार्यों के लिए प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क का निर्धारण;

(घ) आबंटित नहीं किए गए शेष भू–खण्डों तथा भवनों के विक्रय के लिए मानदण्ड;

(ड.) कालोनी की भूमि का कुल क्षेत्र एवं भू–खण्डों/भवनों की संख्या और अविक्रित भूमि और भू–खण्डों/भवनों की संख्या एवं आकार:

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम योजना सर्व सामान्य की जानकारी के लिए समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। विकास योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् भू–खण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिए पात्र होंगे।"।

(4) इस प्रकार स्थापित उप–नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(8) सक्षम प्राधिकारी, नियम 23 के अधीन प्रकाशित योजना के क्रियान्वयन के लिए, संबंधित कालोनी में मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 2019 के अधीन पंजीकृत रहवासी संघ का गठन कर सकेगा:

परन्तु, ऐसी कालोनियों में, जिनकी बसाहट एक हेक्टयर क्षेत्रफल से कम हो, वहां एक दूसरे की सीमा से लगी कालोनियो के अभिन्यास को यथासम्भव समन्वित कर संयुक्त रहवासी संघ का गठन किया जा सकेगा।"।

2. नियम 24 में,–

(1) उप–नियम (1), (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(1) नियम 23 के उप–नियम (4) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कालोनियों में, विकास शुल्क की कुल राशि में से 20% निम्न आय वर्ग के रहवासियों से और 50% अन्य रहवासियों से व्यक्तिगत रूप से प्रभारित की जाएगी:

परन्तु, निम्न आय वर्ग के रहवासियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्न आय–वर्ग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) विकास शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी तथा विकास शुल्क अवधारित किए जाने के पश्चात् इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित की जाएगी और अवधारित विकास शुल्क निम्नलिखित रीति में संग्रहीत किया जा सकेगा:

(एक) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(दो) बिना अनुमति के निर्मित किसी भवन के प्रशमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(तीन) भू–खण्डों/भवनों के किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(चार) रहवासी संघ के माध्यम से:

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी विकास शुल्क किश्तों में जमा किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा तथा जिसकी अवधि 24 माह से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, यह और कि यदि भू–खण्डधारी द्वारा पूर्व में कोई विकास शुल्क जमा किया गया हो, तो इसका दस्तावेजी प्रमाण या रसीद प्रस्तुत करने पर अवधारित विकास शुल्क में समायोजित किया जा सकेगा।

(3) नियम 23 के उप–नियम (6) के खण्ड (क) के अध्यधीन की गई कार्रवाई के अध्ययीन नियम 23 के उप–नियम (7) के अनुसार प्रकाशित विकास योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त निधियों से तत्काल आरम्भ किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) भवन/भूखण्ड स्वामियों से प्राप्त विकास शुल्क;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के अधीन प्राप्त निधियां जो योजनाओं के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार कालोनियों में विकास कार्यों पर व्यय की जाएंगी;

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा संसद सदस्यों एवं विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त राशि;

(घ) विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु समस्त भूखण्डों पर अवधारित विकास शुल्क की पूर्ण वसूली की आवश्यकता नहीं होगी। उपलब्ध निधि से प्राथमिकता के विकास कार्य किए जा सकेंगे;

(ड.) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–घ की उप–धारा (9) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339–घ की उप–धारा (9) के उपबंधों के अधीन अधिहृत की गई अनधिकृत कालोनी के विकास के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संपत्ति के विक्रय द्वारा प्राप्त राशि:

परंतु, खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अधीन प्राप्त राशि, नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका निधियां मानी जाएगी, जो नियम 23 के उप–नियम (6) के खण्ड (ङ) के अधीन प्राप्त विकास लागत की राशि से समायोजित होगी और विकास लागत तथा समायोजित राशि कालोनी के बाह्य विकास एवं संधारण कार्य में व्यय की जा सकेगी।

(2) उप–नियम (4) का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.